न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—50 / 2024
जी.सी.एम.एस नं.—2024 / 102

मदरसा दारूल उलम इस्लामिया हनफिया हनुमागढ़ टाउन जरिये मुतव्वली कारी अब्ददुल फेतह नईमी पुत्र मोहम्मद अली, सब्जी मण्डी, हनुमागढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमागढ़ (राज.)
———वादी

बनाम्.

1. माफी मस्जिद जरिये प्रबंधक कमेटी प्रमुख चक 16 जेएसएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. माफी मस्जिद कमेटी जरिये कमेटी मस्जिद चक 7 के (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. माफी मस्जिद 23 पीटीडी बी जरिये कमेटी मस्जिद चक 23 पीटीडी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

उपस्थित—

1. श्री रमेश सारस्वत एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री नरेन्द्र कुमार चुघ एडवोकेट प्रतिवादी सं.—1 ता 3 की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांकः**—20/4/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 16 एसजीएम पत्थर नं. —289 / 385 का किला नं.—1 ता 25 बीघा भूमि का व चक 7 के पत्थर नं.—116 / 51 का किला नं.—1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि व चक 23 पीटीडी की पत्थर नं.—295 / 364, मुरब्बा नं.—34 का किला नं.—1 ता 15 कुल 15 बीघा में बतौर मुतवल्ली खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। वाद पत्र में प्रतिवादी सं.—1 ता 3 ने **प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी. सी** पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर में वाद दायर किया गया था जिसे अधिकरण द्वारा दिनांक 14.08.2023 को निर्णित फरमाया गया है। उक्त सम्पति के सन्दर्भ में अधिकरण द्वारा निर्णय किए जाने के कारण उक्त प्रकरण प्राकन्याय की श्रेणी में आता है तथा अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर में एसबी मिस अपील नं.—69 / 2023 प्रस्तुत की जो आज रोज भी जैरकार है जिसमे अधिकरण के आदेश दिनांक 14.08.2023 की क्रियान्वती स्थगित्त की गई है। माननीय राजस्थान वक्त न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 14.08.2023 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर मे जैरकार एसबी [illegible] सन्दर्भ में वादी का वाद माननीय अदालत में पोषणीय नहीं है तथा विधि द्वारा वर्जित [illegible]

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मय जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादी / अप्रा[illegible] पेश कर निवे[illegible] किया कि वादग्रस्त सम्पदा कृषि भूमि है माननी[illegible] विचाराधीन अपील 69 / 20[illegible] वाद की हैं जो कि वादी के मुतव्वली अधिकारों के निर्धारण हेतु वाद विषयवस्तु है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक दावा है दोनों तथ्य विषयवस्तु भिन्न होने के कारण प्रावधान आदेश 7 नियम 11 सीपीसी लागू नहीं होते इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 14:00:32 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

काबिले खारिज के है। वाद अभी प्रारम्भिक प्रक्रम पर हैं तनकीयात कायम कर विस्तृत साक्ष्य अभिलेखित किया जाना है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में किन प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि स्पष्टता नहीं होने के कारण काबिले खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायालय यह पाता है कि विवादित भूमि वक्फ सम्पति है। वक्फ सम्पति के सबधं में विवाद की सुनवाई श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार केवल मात्र वक्फ अधिकरण को वक्फ अधिनियम के तहत प्राप्त है। वक्फ सम्पत्ति के सबधं में राजस्व न्यायालय को वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है और ना ही राजस्व न्यायालय में वादी का वाद पत्र पोषणीय है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने कारण काबिल निरस्त है अतः प्रतिवादी सं.–1 ता 3 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामजुर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर वादी के हस्तगत वाद पत्र को इसी अवस्था पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** २०/४/२६ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:32 IST
Reason: SelfAttested